346/26-5-98

XXX-Part.—21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक बि0 सं0 2201

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्व0 देवीदयाल मेमोरियल शिक्षण समिति समिति जो टी0पी0 नगर कोरबा ,तहसील कोरबा , जिला बिलासपुर में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 26-5-1998 को पंजीयित की गई है ।

दिनांक छब्बीस माह मई सन् 1998.

सहायक पंजीयक समितियाँ बिलासपुर संभाग

(अजय चौबे)
समितियों के रजिस्ट्रार
26/5/98

10 Rs.

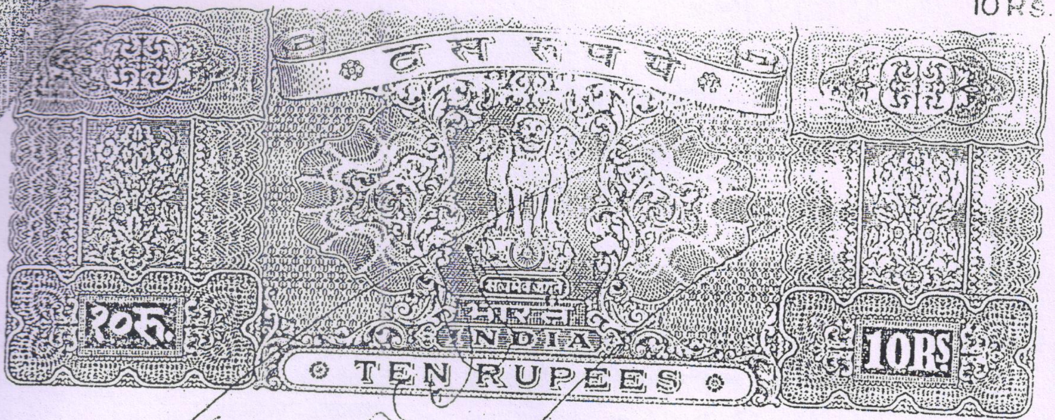

26/5/98

A. R. Bilaspur

2613/18

:- ज्ञापन -:

D.D.M. Shikshan Samiti

1. समिति का नाम डी.डी.एम. शिक्षण समिति - - - - - - होगा।

2. समिति का कार्यालय डी.डी.एम. पब्लिक स्कूल, टी.पी. नगर कोरबा, म.प्र. - - जिला- बिलासपुर - - - में स्थित होगा।

3. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(1) संस्था में बिना जाति भेदभाव के स्कूली एवं महाविद्यालयीन शिक्षा उपलब्ध कराना एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना।

(2) संस्था में छात्रों में आदर्श व्यक्तित्व तथा नागरिकता की भावना उत्पन्न करना।

(3) संस्था में समय समय पर व्यक्तित्व निर्माण की एवं अन्य अभिरुचि उद्देश्यों की जानकारी प्रदान करना।

(4) संस्था के अन्तर्गत योग्य, उत्तम, कर्मठ एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान करना।

(5) छात्रों के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को उचित वातावरण एवं अवसर देना एवं उनका शारीरिक विकास करना।

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति का ... प्रबंध ... संचालक सभा या शासी - निकाय को सौंपा गया है।

जिनके नाम, पते तथा धंधा का विवरण निम्नलिखित है :-

(ये कार्यकारिणी सदस्य ज्ञापन पत्र की प्रमाणित सूची में)

क्रमांक (1)	नाम (2)	पता (3)	धंधा (4)	पद (5)
1.	श्री के. एन. सिंह S/o स्व. श्री जी. डी. सिंह।	151, टी.पी. नगर कोरबा	व्यवसाय	अध्यक्ष
2.	श्री के. ... कुमार S/o श्री ...	... रोड कोरबा	व्यवसाय	उपाध्यक्ष
3.	श्री बी. एन. राव S/o स्व. श्री एम. ...	म. न. 263/B-II बालको नगर।	प्रा. कर्मचारी	सचिव
4.	श्री एल. एम. लुथरिया S/o स्व. अमर लाल लुथरिया	लुथरिया पेट्रोल पंप, कोरबा	व्यवसाय	कोषाध्यक्ष
5.	श्रीमती ... गिल S/o - ... गिल	मिशन हाउस कोरबा	आचार्य	सदस्य
6.	श्रीमती सुधा सिंह W/o श्री के. एन. सिंह	इतवारी बाजार, कोरबा।	व्यवसाय	सदस्य
7.	श्रीमती किरण सिंह W/o श्री के. एन. सिंह	इतवारी बाजार कोरबा	व्यवसाय	सदस्य

A. R. Bilaspur

5. समिति के इस ज्ञापन-पत्र के साथ समिति के विनियमों की प्रमाणित प्रति जो कि म.प्र. समिति पंजीयन अधिनियम, 1959 क्रमांक 1960 का 44 की धारा 5 उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, ... उपरोक्त ज्ञापन-पत्र के अनुसार ... इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर ... साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

CHAIRMAN
DDM SHIKSHAN SAMIT
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

TREASURER
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

SECRETARY
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR ...

क्र... 2..

..2..

यह कार्यकारिणी पंजीयन [illegible]

क्रमांक [illegible] कर्ताओं के नाम, पते व हस्ताक्षर साक्षी का नाम पता व हस्ताक्षर

प्रमाणित सूची [illegible]

1. श्री के.एन. सिंह [illegible] श्री. डी. डी. सिंह,
2. श्री. के. एन. [illegible] [illegible] सिंह, [illegible] रोड, कोरबा
3. श्री. [illegible] राव [illegible] म.नं. 263/B-II [illegible] नगर
4. श्री. एस. एन. [illegible] s/o स्व. [illegible] [illegible], [illegible] मेमोरियल [illegible]
5. श्री. [illegible] पी. [illegible], s/o [illegible] आर. [illegible], मिशन हाऊस, कोरबा ।
6. श्रीमती सुधा सिंह w/o श्री. के. एन. सिंह, इतवारी बाजार, कोरबा । सुधा सिंह
7. श्रीमती [illegible] सिंह w/o श्री. के. एन. सिंह, इतवारी बाजार, कोरबा । किरण सिंह

[illegible] आवश्यक जो उसे जा [illegible]

अध्यक्ष

CHAIRMAN
DDM SHIKSHAN SAMIT
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR [illegible] (M.P.)

सचिव

SECRETARY
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

कोषाध्यक्ष

TREASURER
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

True Copy

([illegible])
सहायक पंजीयक,
[illegible]
[illegible] संभाग - बिलासपुर

26/5/98

नियमावली

स्व० देवी दयाल मेमोरियल

1- संस्था का नाम [illegible] शिक्षण समिति ······ होगा ।

2- संस्था का कार्यालय श्री के. एन. सिंह ··म·नं·········· मोहल्ले का नाम ····················· तहसील ·कोरबा····जिला बिलासपुर मध्य प्रदेश·

3- संस्था का कार्यक्षेत्र ·बिलासपुर संभाग ·········मध्य प्रदेश होगा ।

4- संस्था का उद्देश्य ① संस्था में मिनि. टी.आर.के. स्कूली एवं महाविद्यालयीन शिक्षा उपलब्ध कराना एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना । ② संस्था में छात्रों में आदर्श व्यक्तित्व एवं नागरिकता की भावना उत्पन्न करना । ③ संस्था में समय समय पर व्यक्तित्व निर्माण की एवं अन्य आवश्यक उद्देश्यों की जानकारी प्रदान करना। ④ संस्था के अन्तर्गत योग्य, उत्तम, कर्मठ एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा शिक्षा प्रदान करना। ························
जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वही लिखें।

5- संदस्यता :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे ।

(अ) संरक्षण सदस्य - संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये ··1500/-·· या अधिक एक मुश्त या एक साल में पूरे किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक होगा ।

(ब) आजीवन सदस्य - जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रुपये ··1300/-····· या अधिक देकर आजीवन सदस्य बन सकता है ।

(स) साधारण सदस्य - जो व्यक्ति रुपये ···501/-··· मास रुपये ···600/-··· प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

(द) सम्मानीय सदस्य:- संस्था की प्रबन्ध कारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभी की बैठक में भाग ले सकते है परन्तु उनको मत पत देने का अधिकार न होगा ।

6- सदस्यता की प्राप्ति - प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदन-पत्र प्रबन्ध कारिणी [redacted] को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन-पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

7- सदस्यता की योग्यता - संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्न लिखित योग्यता होना आवश्यक है ।

क्रमशः····2

CHAIRMAN
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR KORBA (M.P.)

SECRETARY
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

TREASURER
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो । (2) भारतीय नागरिक हो ।

(3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।

(4) सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

8- सदस्यता की समाप्ति - संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर । (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर । (4) त्यागपत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर । (5) चरित्र दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर उसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी (6) तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर।

9- संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :-

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।

(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो न रसीद नं.

(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।

10- (अ) साधारण सभा :- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा, यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) प्रबन्धकारिणी सभा :- प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुन: की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी ।

(स) विशेष :- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या । का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

CHAIRMAN
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

SECRETARY
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

TREASURER
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

क्रमश:....3

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना । (ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना । (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना । (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो । (ङ) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना (छ) बजट का अनुमोदन करना ।

12- प्रबन्धकारिणी का गठन:- ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

(अ) अध्यक्ष, (ब) उपाध्यक्ष, (स) सचिव, (द) कोषाध्यक्ष (इ) एवं सदस्य

13- प्रबन्ध समिति का कार्यकाल:- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा । समिति का यथेष्टा कारण होनेके पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14- प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौंपे जाएं ।

(घ) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी ।

क्रमशः....4

CHAIRMAN
DDM SHIKSHAN SAMIT
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

TREASURER
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

[illegible]
T. P. NAGAR, [illegible] KORBA (M.P.)

(14) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा ।

15- अध्यक्ष के अधिकार:- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विवादार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16- उपाध्यक्ष के अधिकार:- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

17 - सचिव मंत्री के अधिकार :- (1) साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।

(2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना । उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 1000=00 रहेंगे ।

18- कोषाध्यक्ष के अधिकार:- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

19- बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 1000=00 रहेंगे ।

20- पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :- अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी । तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी ।

21- संशोधन :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्था को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।

क्रमशः....5

CHAIRMAN
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

TREASURER
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

SECRETARY
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

S.

/5/

22- विघटन:- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

23- सम्पत्ति:- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी ।

24- बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जावेगा । एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

25- पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना:- संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

26- विवाद:- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध-समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

CHAIRMAN
DDM SHIKSHAN SAMIT
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

TREASURER
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P)

SECRETARY
DDM SHIKSHAN SAMITI
BEHIND STADIUM
T. P. NAGAR, KORBA (M.P.)

20/- चालान क्र. 1/27
2015/98
2201 26/5/98
26/5/98

26/5/98